भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4454
19.07.2019 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय मंजूरी

4454. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापत:
श्री चंद्र शेखर साहू:
डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पहले से ही पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के बिना कार्य कर रही इकाइयों को इसके लिए आवेदन करने के लिए अंतिम बार अवसर देने हेतु छ: महीने का समय प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पहले से ही ईसी प्राप्त किए बिना कार्य कर रही परियोजनाओं के विरूद्ध ईसी के उल्लंघन/पालन नहीं करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा और इनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) क्या इस संबंध में एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा उल्लंघन के ऐसे मामलों का किस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा और सरकार द्वारा किस हद तक अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) जी हां। मंत्रालय ने दिनांक 14 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 804 (अ) द्वारा उन परियोजनाओं को अंतिम बार अवसर देते हुए छह माह का समय प्रदान किया है जिन्होंने स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय मंजूरी की सीमा के बाहर उत्पादन का विस्तार किया है या पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना उत्पाद के मिश्रण में परिवर्तन किया है।

(ख) और (ग) जी हां। उल्लंघन के ऐसे सभी मामलों में, संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा, जब तक उस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान नहीं की जाती तब तक उसे प्रचालित करने हेतु कोई सहमति-पत्र या अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.03.2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 804 (अ) और दिनांक 08.03.2018 की अधिसूचना सं.का.आ. 1030 (अ) द्वारा प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में, उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन, पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित की गई प्रक्रिया के आधार पर श्रेणी 'क' की परियोजनाओं/गतिविधियों के निपटान के प्रयोजन से गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा या श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं/गतिविधियों के निपटान के प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य के स्तर पर गठित राज्य-स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) द्वारा किया जा रहा है।

(घ) जी हां। मंत्रालय द्वारा श्रेणी 'क' की परियोजनाओं/गतिविधियों के निपटान के प्रयोजन से एक अलग ईएसी गठित की गई और श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं/गतिविधियों, जिनके संबंध में उल्लंघन के मामले पाए गए हैं, के निपटान के प्रयोजनार्थ गठित एसईएसी को अधिकार प्रदान किया गया।

(ड.) अधिसूचना सं. का.आ. 804 (अ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ईएसी या एसईएसी, जो भी स्थिति हो, द्वारा यह आकलन करने, कि किसी स्थान पर परियोजना का जो निर्माण किया गया है वह प्रचलित कानूनों के

अधीन अनुज्ञेय है या नहीं और जो भी विस्तार किया गया है उसे पर्यावरणीय सुरक्षा के यथेष्ट उपायों के साथ पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करते हुए वहनीय रूप से संचालित किया जा सकता है या नहीं, के उद्देश्य से मूल्यांकन किए गए उल्लंघन के ऐसे सभी मामलों में; और जिस मामले में समिति के निष्कर्षों में ऐसे किसी उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है उसमें, कानून के तहत अन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ उस परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी।

जिस मामले में समिति के निष्कर्षों में किसी उल्लंघन के पाए जाने का उल्लेख किया गया हो, उस श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन करने तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु समुचित विचारार्थ विषय निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, ईएसी या एसईएसी द्वारा पारिस्थितिकीय क्षति, उपचारी योजना तथा प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में वृद्धि की योजना का आकलन करने पर उस परियोजना के लिए विशिष्ट विचारार्थ विषय निर्धारित किए जाएंगे और मान्यता प्राप्त परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में उसे एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा। पारिस्थितिकीय क्षति के आकलन के लिए आंकडों का संग्रह एवं विश्लेषण करने, उपचारी योजना तथा प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में वृद्धि की योजना तैयार करने का कार्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विधिवत् अधिसूचित किसी पर्यावरणीय प्रयोगशाला द्वारा, या राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पर्यावरणीय प्रयोगशाला द्वारा, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, की किसी प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा।

ईएसी या एसईएसी पर्यावरणीय मंजूरी की किसी शर्त के उल्लंघन के कारण आकलित की गई पारिस्थितिकीय क्षति और प्राप्त किए गए आर्थिक लाभ के समनुरूप पर्यावरण प्रबंधन योजना, जिसमें उपचारी योजना तथा प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में वृद्धि की योजना शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

परियोजना के प्रस्तावक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपचारी योजना तथा प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में वृद्धि की योजना की धनराशि के समतुल्य एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करे और अर्हता की अनुशंसा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी और विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और बैंक गारंटी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने से पूर्व जमा की जाएगी तथा उसे उपचारी योजना तथा प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों में वृद्धि की योजना के सफल कार्यान्वयन के उपरांत और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश एवं विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाएगा।

******